NT>

Title: Need to stop opening and running of Bogus Universities.

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद) : अध्यक्ष महोदय, देश में फर्जी विश्वविद्यालयों की सूची तेजी से बढ़ रही है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने भी 18 विश्वि वद्यालयों की सूची जारी की थी। यह एक बहुत गम्भीर मामला है। सही मायने में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का 1956 का जो एक्ट है, वह पुराना है। वह बहुत लचीला कानून है। उसमें दंड का प्रावधान नहीं के बराबर है। वह कोर्ट से स्थगन आदेश प्राप्त कर लेते हैं। बच्चों के भविय का सवाल है। पूरे देश में धड़ल्ले से फर्जी ि वश्वविद्यालय खोलने का काम हो रहा हैं। दिल्ली में भी चार फर्जी विश्वविद्यालय हैं। मेरी सरकार से प्रार्थना है कि 1956 के पुराने कानून को बदला जाए। जब तक दोष ी लोगों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई नहीं होगी तब तक यह गोरखधंधा बंद नहीं होगा। मुझे यही निवेदन करना था।